प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में

सभी कर्मचारीगण, मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय।

कमांकः स्था0/05/2024/ 17982-18682 दिनांकः 11/07/24

विषयः– **Coverage under Punjab Civil Services Rules (CSR) Vol.-II (now Haryana Civil Services (pension) Rules, 2016) in place of New Defined Contributory Pension Scheme, of those State Government Employees who were recruited against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment, on or before 28.10.2005.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलें में आपको सूचित किया जाता है कि वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायतें दिनांक 08.05.2023 के संदर्भ में कार्यालय द्वारा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से पुरानी पैंशन योजना बारे आपशन मांगे गये थे, जिनकी नियुक्ति/भर्ती नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की नोटिफिकेशन की तारीख यानी दिनांक 28.10.2005 से पहले हुई हो। जिसके उपरांत विभाग में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित विभाग द्वारा पत्र मैमों न0 1/1/2004–1 Pension (FD). Chandigarh दिनांक 08.05.2023 के संदर्भ में पुरानी पेंशन योजना के सम्बंध में ऑपशन दी गई थी।

जिस के संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा उक्त हिदायतों में यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी/नौकरों को किसी पद या रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है, जिसे नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की अधिसूचना की तारीख यानी 28.10.2005 से पहले भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, परन्तु प्राप्त आवेदनों के अवलोकन पर पाया गया कि यह सभी कर्मचारी पुनः विज्ञापित विज्ञापन के माध्यम से नियुक्त है, जबकि वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पत्र के माध्यम से पुनः विज्ञापन के सम्बंध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई थी। विभाग द्वारा मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग से इसके संदर्भ में मंत्रणा प्राप्त की गई है जिसमें वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा निम्न प्रकार से मंत्रणा दी गई हैः–

> "The Provisions of Office Memorandum No. 01/01/2004-1Pension (FD) dated 08/05/2023 is not meant for the re-advertisement of posts."

अतः विभाग द्वारा वित्त विभाग, हरियाणा सरकार से प्राप्त उक्त मंत्रणा के आधार पर विभागीय कर्मचारियों से प्राप्त ऑपशन सम्बधिंत सभी आवेदनों को दफतर दाखिल कर दिया गया है।

सहायक श्रम आयुक्त(मु0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

D:\Neelam Data\2021 New noting\draft 2024.docx